ज्ञान तत्व अंक 152

(क) लेख लोक स्वराज्य में गांधी और अन्य।
(ख) डॉ0 गोपीरंजन साक्षी संघ के लोगों का अछुतों के साथ व्यवहार।
(ग) ज्ञान यज्ञ

(क)लोक स्वराज्य में गांधी और अन्य

स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हैं, यह बात सबसे पहले स्वामी दयानन्द जी ने कही थी। उसके बाद तिलक जी ने इस बात को आगे बढ़ाया और उसके बाद गांधी ने स्वराज्य का पहला चरण पूरा किया। गॉधी के बाद बाकी महापुरूषों ने या तो स्वराज्य को ठीक से समझा ही नही या समझते हुए भी उसे न समझना ही ठीक समझा। विनोबा जी तो जीवन भर नेहरू मोह में नासमझ बने ही रहे। जयप्रकाश जी ने इसे ठीक से समझा भी और कुछ करना भी चाहा, किन्तु वे परिस्थितियों के अभाव में कुछ कर नहीं सके। उसके बाद तो स्थितियॉ और भी विकट होती जा रही हैं। अब तो स्थिति यहॉ तक आ गई है कि विपक्ष के नेता आडवाणी जी स्वराज्य से सुराज की ओर जाने का लक्ष्य घोषित कर रहे है।

स्वराज्य का स्वामी दयानन्द का आशय लोक स्वराज्य से था या राष्ट्रीय स्वराज्य से यह बिल्कुल साफ नहीं हो पाया। स्वामी जी ने आर्य समाज के दसवें नियम में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत मामलों में स्वतंत्रता की बात कहकर लोक स्वराज्य की बात को मजबूत किया है। किन्तु वह बात बिल्कुल साफ–साफ नहीं कही। स्वामी जी ने व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात तो की किन्तु इकाईगत स्वतंत्रता की बात उसमें नहीं आई।(आर्यसमाज ने भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष में तो बहुत बढ़– चढ़कर हिस्सा लिया, किन्तु राष्ट्रीय स्वतंत्रता) के बाद में समाज को सुधारने में ही लगे रहे, क्योंकि स्वामी जी ने भी समाज सुधार को बहुत महत्व दिया था) तिलक जी का स्वराज्य तो साफ–साफ राष्ट्रीय स्वराज्य था। गॉधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जो राष्ट्रीय स्वराज्य को लोक स्वराज्य का प्रथम चरण मानते रहे। साथ ही वे इकाईगत स्वतंत्रता की भी बात करते रहे, अर्थात् राष्ट्रीय स्वराज्य का दूसरा चरण ग्राम स्वराज्य और तीसरा लोक स्वराज्य। यदि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी भी जाए, किन्तु गॉव गुलाम रहें तो समाज मजबूत नहीं होगा ऐसी उनकी सोच थी। इस तरह स्वामी दयानन्द आदर्श समाज के लिए अधिक प्रयत्नशीन रहे और गॉधी संगठित और मजबूत समाज के लिए। यह भी सम्भव है कि स्वामी दयानन्द के कालखण्ड में गुलामी होते हुए भी सामाजिक स्वतंत्रता को इतना गुलाम नहीं किया गया होगा जितना गांधी के कालखण्ड में। शायद इसीलिए स्वामी जी इस संबंध में चुप रहे हों। चाहे जो भी

हो, किन्तु लोक स्वराज्य के लिए गांधी सबसे स्पष्ट और सर्वाधिक सक्रिय माने जाते हैं।

वैसे तो जनकल्याणकारी राज्य की भारत में सबसे मजबूत मॉग उठाई राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय की सोच भी अंग्रेजी थी और कार्यप्रणाली भी। उन्होंने उस समय व्याप्त सामाजिक बुराई ''सती प्रथा'' को हथियार के रूप में उपयोग किया और राज्य को सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप हेतु आमंत्रित किया। यदि हम गॉधी की समाज के विषय में सोच और राममोहन राय की सोच की तुलना करें तो दोनों की सोच, बिल्कुल विपरीत हैं। गॉधी समाज को शक्तिशाली बनाकर सतीप्रथा के विरूद्ध होते क्योंकि गॉधी के पास इतना आत्मबल था कि वे राज्य से अधिक प्रभावकारी थे। राममोहन जी को राज्य की ताकत पर प्रतिष्ठा पानी थी जिसमें वे सफल भी रहे। आज भी राम मोहन राय को सतीप्रथा उन्मूलन कानून बनवाने के लिए आदर सम्मान दिया जाता है जबकि सच्चाई यह है कि राज्य को समाज के मामलों में हस्तक्षेप का न्योता देने का पहला काम उन्होनें ही किया है।

गॉधी के जाने के बाद के गॉधीवादियों की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। नेहरू पटेल अम्बेडकर आदि ने पूरी स्वतंत्रता पूर्वक समाज व्यवस्था को कुचलना शुरू किया। कौन सामाजिक मामलों में कितने कोड बनाता है इसकी होड़ सी मच गई। वैसे तो अन्य सभी राजनेता भी गॉधी विरोधी इसी लाईन के पक्षधर रहे, किन्तु नेहरू और अम्बेडकर ने तो इस जल्दबाजी में शालीनता की सारी सीमाऍ ही तोड़ कर रख दी। (स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही भारत में भ्रष्टाचार बढ़ना शुरू हो चुका था, लेकिन प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने की कोई जल्दबाजी दोनो में नही दिखी। दोनों ने जल्दबाजी दिखाई हिन्दूकाड बिल बनाने में।) दोनों ने हिन्दू कोड बिल बनवाने में कितनी जल्दबाजी की यह तो इतिहास के पन्नों में ही दर्ज है किन्तु यह बिल्कुल सच है कि दोनों ही इस मामले में प्रतिष्ठापूर्ण संघर्ष में जीत के लिए प्रयत्नशील रहे। समाज के लिए सामाजिक मामलों में कोई कोड राज्य को बनाना ही नहीं चाहिए। यह तो सीधी–सीधी ब्लैकमेलिंग है कि आप किसी को अच्छे भविष्य का लालच देकर उसकी स्वतंत्रता छीन लें और उसके आन्तरिक व्यवहार के लिए भी उस पर कोई कोड थोप दें। लेकिन हमारे देश के इन दोनों रहनुमाओं ने बड़ी चालाकी से यह काम कर दिखाया और आज भी इनके दलाल घूम–घूमकर समाज को गुलाम बनाने वाले ऐसे किसी कोड बिल के लिए इनकी प्रशंसा करते रहते हैं। पहली बात तो यही गलत है कि ऐसा कोई कोड बिल बने जो समाज की आन्तरिक व्यवस्था और अधिकारों में कटौती हो और यदि ऐसा कोड बिल बनाकर उसे किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ दिया जाए तो पूरा–पूरा षड़यंत्र ही माना जाना चाहिए। किन्तु धर्मनिरपेक्ष भारत में एक धर्म विशेष की उन्नति और भलाई को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाता है और उस कानून से बाहर रहने वालों पर उस कानून के अभाव का दुष्प्रभाव दिखता है तो उस दुष्प्रभाव के लिए उन्हें अलग से संरक्षण देने की बात की जाती है। आज

मुसलमानों में पिछड़ापन का रोना रोने वाले क्यों नहीं नेहरू, अम्बेडकर को गालियॉ देने की पहल करते हैं जिन्होनें मुसलमानों को इस प्रगतिशील कोड बिल से बाहर रखने की भूल की। इससे अधिक चिन्ताजनक स्थिति यह भी है कि इस कोड बिल ने परिवार व्यवस्था को भी गम्भीर क्षति पहुॅचाई। एक तरफ तो लड़की के विवाह पूर्व दहेज का विरोध करके लड़की के माता–पिता के ऑसू पोंछने का नाटक किया गया दूसरी ओर विवाह बाद जीवन भर के लिए लड़की को माता–पिता की सम्पत्ति में साझीदार बनाकर माता–पिता को संकट में डाल दिया गया। रोजा तो खत्म हुआ नहीं नमाज और गले आ लगी। इस एक प्रावधान से परिवार व्यवस्था कितनी टूटेगी यह तो भविष्य ही बताएगा। किन्तु टूटेगी अवश्य इतना निश्चित है। इस कोड बिल में यह तो एक घातक कोड है जिसकी मैंने चर्चा की है, किन्तु इसके अतिरिक्त भी इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो परिवार व्यवस्था को गम्भीर क्षति पहुचाएंगे। नेहरू, अम्बेडकर की जोड़ी की अधिकार भूख उनके बाद के राजनेताओं में भी उसी तरह जागृत है और वे तो और भी अधिक तेज गति से इस काम में सक्रिय हैं।

प्रसिद्ध गॉधीवादी और सर्वोदयी नेता ठाकुर दास जी बंग ने फिर से गॉधी की उस राह को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। लोकतंत्र लोक नियुक्त ही नहीं लोक नियंत्रित भी हो यह एक सूत्री मॉग उन्होंने बलपूर्वक उठाई है। परिवार गॉव और जिले को संवैधानिक अधिकार मिले और उस सूची को संविधान में डालकर उसे परिवार संसद ग्राम संसद का स्वरूप दिया जाए तभी समाज मजबूत होंगा,गॉव मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा।जब ये तीनों मजबूत होंगे तभी लोक स्वराज्य आ सकेगा। बंग जी की यह पहल एक मील का पत्थर साबित होगी और संभव है कि उनके इस साहसिक प्रयत्न से राज्य पर कोई नियंत्रण लग सके।

प्रश्नोत्तर

(ख) डॉ0 गोपीरंजन साक्षी 7/535 रामनगर, वृन्दाबन मार्ग, अस्पताल रोड, सागर, मध्यप्रदेश

आपकी पत्रिका ज्ञानतत्व विचार–मंथन के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करती है। कई पाठकों के पत्र मेरे पास भी व्यक्तिगत रूप से आए हैं। ऐसा लगता है कि इस पत्रिका का व्यापक विस्तार है।

आपने ईमानदारी से माना है कि यदि किसी अछूत की जाति का पता चल जाता है तो पूर्व संस्कारों के कारण मेरे भी सामान्य व्यवहार में आंशिक अन्तर आ जाता है। विचार करिए कि जब आप जैसे व्यक्ति का यह हाल है तो दूसरों का क्या हाल होगा?

आपने संघ द्वारा प्रचारित गुप्त दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया है। आप स्वयं देख सकते हैं कि संघ के लोगों का अछूतों के साथ व्यवहार कैसा है।

रामायण या मनुस्मृति में से ढोल गॅवार शूद्र पशु नारी तथा पूजिय विप्र सकल गुण हीना जैसे अवांछित अंशों को अब भी बाहर निकालने की कोई पहल क्यों नहीं की जा रही।

आपने शंका व्यक्त की है कि जिस तरह वर्ण व्यवस्था का दुरूपयोग करके सवर्णो ने अवर्णो के साथ लम्बे समय तक अमानवीय व्यवहार किया है वैसा ही अमानवीय व्यवहार राज्य शक्ति प्राप्त अवर्ण भी सवर्णो के साथ कर सकते हैं। मेरे विचार में यह सोच गलत है। अम्बेडकर जी के मन में ही कभी ऐसा भाव नहीं आया तो अब ऐसा संदेह क्यों? मुझे तो यह साफ–साफ दिख रहा है कि जब तक सत्ता में पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियों का वर्चस्व नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार के न्याय की संभावना नहीं है। ऐसी न्याय पूर्ण संभावना को ही जड़ मूल से समाप्त करने का अभियान संघ वालों का है। वे एक तरफ तो सांस्कृतिक धरातल पर लगातार घृणा फैला रहे हैं, दूसरी तरफ राजनैतिक आधार पर भी लगातार तिकड़म कर रहे हैं।

आप गॉधी विनोबा जय प्रकाश की चर्चा बहुत करते हैं। अम्बेडकर जी ने गॉधी से कहा था कि आप हरिजन उद्धार पर जो राशि खर्च कर रहे हैं वह राशि आप यदि हमें सौंप दे तो हम उतनी ही राशि मे कई गुना अधिक हरिजन उद्धार का काम करके दिखा देंगे। गॉधी ने यह प्रस्ताव नहीं माना। यही बात इनके वास्तविक सोच को उजागर करने के लिए पर्याप्त है।

अब तक के गम्भीर प्रयत्नों के बाद भी पिछड़ों अति पिछड़ों को उनके अधिकारों का पांच प्रतिशत ही उन्हें प्राप्त हो पाया है। इतने मामूली परिवर्तन मे ही इतनी अधिक हाय तौबा शुरू हो गई है। यदि यह परिवर्तन जोर से शुरू हो जाए तब स्थिति क्या होगी इसकी कल्पना करने की आवश्यकता है। ये ब्राम्हण मनुवादी अरबों की जमीन और सम्पत्ति बहुत कम समय में इकट्ठी कर लेते हैं इस पर गम्भीर विचार करिए।

आपने श्रम की महत्ता महसूस की है। आपने श्रमजीवी ग्रामीण गरीब उत्पादक को आगे बढ़ाने की भी बात की है यह कार्य बहुत आवश्यक और उपयोगी है। यह कार्य तभी संभव है जब आपके साथ कुछ अम्बेडकरवादी भी जुड़ सकें। यही लोग आपकी ठीक –ठीक दिशा में मदद कर सकेंगे, किन्तु आजकल अम्बेडकर के नाम पर भी बहुत ठग विधा चल रही है। अनेक धूर्त अम्बेडकर के नाम पर असत्य प्रचार करने

लगे है। इनसे भी सतर्क रहिएगा। इस दिशा में आप प्रयत्न करिए। मैं भी आपकी सहायता करूॅगा।

1. श्री कृष्ण कुमार जी सोमानी, तीसरी मंजिल, 14 आर कमानी मार्ग, बलाई स्टेट, मुम्बई – 400001।

अब तक आपके विचारों में तटस्थता की झलक मिलती थी किन्तु अब आप गोपीरंजन साक्षी जी के प्रभाव में आकर लिखने लगे हैं। तभी तो आपने बिना जानकारी के मनु के विरूद्ध टिप्पणी कर दी। आप मुम्बई यूनिवर्सिटी से शोध और पी0एच0डी0 प्राप्त दलित विधार्थी के निष्कर्षो का अध्ययन करिए जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति में मात्र दो–तीन श्लोक ही दलितों के विरूद्ध हैं, अन्यथा शेष मनुस्मृति तो आज भी प्रासंगिक हैं। साठ वर्षो के अम्बेडकरवादी संविधान में सैकड़ों छेद होने के बाद भी पता नहीं हजारों वर्षो के मनुवादी संविधान को गालियॉ देकर अम्बेडकर की प्रशंसा में आप कैसे जुड़ गयें।

आपने लिखा कि स्वतंत्रता के पूर्व मनुवादियों ने वर्ण व्यवस्था को कर्म के स्थान पर जन्म के आधार पर घोषित करने का षडयंत्र किया और उसी आधार पर लाभ उठाया। लगता है बाईबिल के अंश, आपने नहीं पढ़े जिसमें दूसरे धर्म के लोगों के साथ किस सीमा तक अत्याचार करने की शिक्षा दी गई है। इसके ठीक विपरीत मनु ने भागते हुए शत्रु तक के साथ मानवीय व्यवहार की सलाह दी। गीता ने शत्रु मित्र के बीच समभाव की सलाह दी है यहॉ तक कि कुत्ते तक के लिए गीता ने उच्च विचार विवेचना की है।

1. अपने ग्रंथ में 'मैक्समूलर' ने 36 पृष्ट सिर्फ हिन्दुओं की प्रत्येक प्रकार की श्रेष्ठता पर लिखे हैं और इसे अभी यूरोप की सभ्यता से आगे जाना है। पूरा ब्योरा देना यहॉ बहुत हो जायेगा।
2. सिकन्दर, क्राईस्ट के 500 साल पहले भारत आया था। इसके साथ आये कई ग्रीस के इतिहासकार और विद्वानों ने भारत का गुणगान किया है। 'मेगस्थनीय' ने बताया है कि भारत में कोई भी गुलाम नहीं है। भारतीय गरीब को भी सताते नहीं और सभी से मित्रता का व्यवहार रखते है।
3. क्राईस्ट के 200 साल पहले 'एरिएन' (ग्रीक)भारत में आया। उसने लिखा कि भारत के लोकतंत्र में सचमुच में निम्न से निम्न व्यक्ति को न्याय मिलता है।
4. चीन से तीसरी और सातवीं शताब्दी में सू–वी और हुवेन –स्वांग आये थे। उन्होंने लिखा कि भारतीय ईमानदार और सीधी प्रकृति वाले होते हैं। किसी पर अन्याय नहीं करते और लेन–देन में उचित से ज्यादा महत्व देते हैं।
5. 'थोमस मुनरो' जो अंग्रेज राज्य में मद्रास के गवर्नर रहे हैं, लिखते हैं कि'' हिन्दू कोई भी माप से यूरोपियन देशों से कम नहीं है। शिक्षा, व्यापार, आतिथ्य, धर्म, गरीबों की मदद आदि सब में आगे हैं। अगर संस्कृति

और सभ्यता का इम्पैक्ट आयात हो सकता हो तो मैं समझता हूँ कि वहॉ की सभ्यता के आयात से इंग्लैण्ड का फायदा ही होगा।

ऊपर की सारी सभ्यता मनुस्मृति पर ही आधारित थी और जब तक वह प्रतिष्ठित थी, उसका नतीजा ऊपर बताया गया है। आज की सभ्यता अम्बेडकर के संविधान पर आधारित है, इसका नतीजा सबके सामने हैं।

जहॉ तक जन्मजात वर्णव्यवस्था का सवाल है, इस बारे में शुरू से ही मतभेद रहा है, जिसका पूरा ब्यौरा मेरी पुस्तक में मैंने दिया है। महाभारत में भी लिखा है कि पूर्णतया जन्मजात वर्णव्यवस्था व्यावहारिक नहीं है और भगवतगीता में भी इसे गुण और कर्म पर ही आधारित बताया है। मैंने पुस्तक में बताया है कि वर्णव्यवस्था और दलित अछूत का कोई संबंध नहीं है। अंग्रेजों में वर्णव्यवस्था नहीं होने पर भी दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में काली और भूरी चमड़ी वालों के साथ वे लोग अछूत का व्यवहार आज से कुछ साल पहले तक करते थे।

ऐसे व्यवहार में दुनिया के सभी देश और संस्कृति में समाज के उच्च वर्ण के लोग नीचे वालों का फायदा उठाते ही हैं। यह मानव की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी को दूर रखने के लिए धर्म और संस्कृति की जरूरत है। पर इसके लिए वर्ण व्यवस्था को दोष देना गलत है। आज भी वर्ण व्यवस्था है (सभी देशों में है)वह है राजनीतिक पार्टियां। वे पूरी बेशर्मी के साथ सत्ता के लिए झूठा, भ्रष्टाचार, गलत प्रचार, देशद्रोही कार्य आदि सब करती है। दलित नेता मायावती भी अछूती नहीं है। मनुस्मृति और वर्णव्यवस्था को दोष देने वाले क्यों अन्धे बने हैं – आज की लोकतंत्र पद्धति और दलगत राजनीति के प्रति? जो दोष आज लोग बेसमझी से वर्ण व्यवस्था पर करते हैं वे ही कुछ दशकों बाद आज की लोकतंत्र पद्धति, राजनीतिक दलों एवं गुप्तदान पर करेंगे। यह समय की विकृति है, स्वार्थ से मिची ऑखों द्वारा अनदेखी। इसके लिए पुरानी संस्कृति जो 10000 साल तक टिकी है, उसे दोष देना नासमझी है। अम्बेडकरवादी – नाम से जो ऑधी चली है, उसका आपने उचित निन्दा की है। धर्म बदलने से ऊॅच–नीच खत्म हो जाती है तो मुस्लिम और क्रिश्चियन बने दलितों के लिए आरक्षण की मॉग नहीं होती।

बौद्ध धर्म (दलितों का)में पंचशील मुख्य मंत्र हैं, जिसमें अहिंसा, अक्रोध, अपरिग्रह विशेष है। भगवान बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य को बाहर ही रोक दिया पूछने पर वह बताया 'अछूत' है। लोगों ने पूछा यह वर्णभेद आपके मन में कैसे आया तो बताया कि वह अभी क्रोध में हैं , इसलिए मेरे लिए अछूत है। पर आज के परिवर्तित बौद्ध न तो अहिंसक हैं न क्रोध से खाली और सत्ता की लालसा से अपरिग्रह का तो सवाल ही नहीं उठता।

मेरा आपसे निवेदन है कि अम्बेडकर के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने वालों के प्रति सावधान रहें।

उत्तर—समाज में समय–समय पर महापुरूषों द्वारा विचार–मंथन करके कुछ निष्कर्ष निकालने की परम्परा रही है। ऐसे निष्कर्ष ही विचार–प्रचार के काम आते हैं। देशकाल परिस्थितियों के अनुसार ये निष्कर्ष संशोधित होते रहते हैं। यही कारण है कि विचार–प्रसार करने वालों को विचार मंथन अवश्य ही करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि विचार मंथन नहीं होगा तो देश काल परिस्थिति के अनुसार अप्रासंगिक हो चुके विचार भी विचार प्रसार से बाहर कभी होंगे ही नहीं और ऐसे अप्रासंगिक विचार उक्त महापुरूष की श्रेष्ठता को भी प्रभावित करते रहेंगे तथा समाज में भी अव्यवस्था फैलाते रहेंगे। दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान समय में अनेक विद्वान स्थापित विद्वानों के विचारों को बिना स्वयं विचार मंथन किये ही प्रचारित करने में लगे हैं जो घातक है। एक प्रकार से ये लोग सिर्फ पोस्टमैन की भूमिका तक ही सीमित रहते हैं। जो मनु अम्बेडकर, गॉधी या बुद्ध के विचार बिना समझे ही यथावत समाज तक पहुॅचाते रहते हैं । अच्छा होता कि उक्त विज्ञान पोस्टमैन की भूमिका से ऊपर उठकर पहले विचार मंथन करते, तब निष्कर्ष निकालते और तब समाज को प्रस्तुत करते। सामान्य भक्तगण तो ऐसा नहीं कर पाते, किन्तु साक्षी जी या सोमानी जी सरीखे विद्वानों को इस दिशा में साथ बैठना चाहिए। मुहम्मद साहब ने भले ही स्वयं को अन्तिम पैगम्बर घोषित करके मुसलमानों के लिए भविष्य में विचार मंथन के मार्ग सीमित कर दिये हों किन्तु किसी भारतीय विद्वान ने तो ऐसी रोक नहीं लगायी। फिर हम आगे की सोच क्यों नहीं करते। आप दोनों महानुभावों ने अम्बेडकर या मनु साहित्य पढ़ने की सलाह दी है। मैं तो चाहता हूॅ कि मैं आप दोनों को अधिक पढ़ सकूॅ, क्योंकि आप दोनों विद्वान भी हैं और उपलब्ध भी तथा आपके विचार उन महापुरूषों की अपेक्षा देश काल परिस्थिति के अधिक निकट हो सकते हैं।

साक्षी जी ने मेरी मनःस्थिति को आधार मानकर सबका अंदाज किया जो उचित नहीं। हो सकता है कि कई लोगों के मन में बिल्कुल ही ऐसे भाव न आते हों या कई अन्यों के मन में कई गुना अधिक आते हों। साक्षी जी के मन में मनुवादियों के प्रति जो कटु भाव दिखता है आवश्यक नहीं कि अन्य अवर्णो के मन में भी ऐसा ही हो। वैसे वर्तमान समय में जाति प्रथा या जातिवाद का जो मनुवादी और अम्बेडकर वादी स्वरूप विद्यमान है वह कुल मिलाकर घातक है और इसमें कहीं न कहीं सत्ता संघर्ष की गंध आती है।

ये दोनों ही प्रयत्न कहीं न कहीं जातिवाद को समाप्त करने में बाधक हो रहे हैं। मनु ने या तुलसीदास जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व किसी मनःस्थिति में या किसी परिस्थिति में क्या कहा यह तो इतिहास का विषय है किन्तु काशीराम जी ने कुछ वर्ष पूर्व ही तिलक तराजू को जूते मारने का आह्वान किया था। काशीराम जी का उक्त

कथन यदि हजारों वर्ष बाद टकराव का केन्द्र बने यह ठीक नहीं। तुलसीदास जी या मनु जी ने कई बातें ठीक भी कही हैं और कई गलत भी हो सकती हैं। इतिहास की घटनाएँ समीक्षा तक सीमित होनी चाहिए। कभी–कभी विशेष स्थिति में आलोचना भी की जा सकती है, किन्तु इतिहास की घटनाओं को विरोध की धुरी बनाने में स्वार्थ की गंध आती है।

यह तो अच्छा हुआ कि मायावती जी ने काशीराम जी को पलट कर ब्रम्हा विष्णु का नारा दे दिया। यदि दस पॉच वर्षों में ही परिस्थितियां बदल जाती हैं तो जब मनु की व्यवस्था हजारों वर्ष बाद संशोधित करने योग्य हुई है तो यह मनु की सफलता ही है।

अम्बेडकर जी ने दस वर्षो के आरक्षण की व्यवस्था भारतीय सविधान में की थी। जब आरक्षण के प्रावधान का राजनैतिक लाभ अनुभव हुआ तों अम्बेडकर के संविधान को संशोधित करके अवधि बढ़ा ली। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। किन्तु संविधान संशोधन का असीमित अधिकार संसद को नहीं दिया जा सकता।

संघ का व्यवहार अछूतों के प्रति कैसा है यह मैं नहीं कह सकता इस संबंध में मायावती जी अधिक बता सकेंगी। जिन्होंने इनके साथ मिलकर सरकार बनाई। अब पुनः संघ और मायावती के रिश्ते सुधर रहे हैं। स्वार्थ के लिए सिद्धान्तों को आधार बनाने की गलती करना कोई अच्छी बात नहीं है।

सोमानी जी ने भी बाइबिल के कुछ अंशों का संदर्भ देकर मनुस्मृति के पक्ष में कुछ कहना चाहा है। यदि कोई बाइबिल या कुरान का प्रशंसक मनुस्मृति की आलोचना करे तब तो आप बाइबिल कुरान के उदाहरण देकर उसे चुप कर सकते हैं किन्तु कोई हिन्दू यदि मनुस्मृति की समीक्षा करे तो आपके उद्धरण ठीक नहीं। जन्मना जाति व्यवस्था सवर्णो का एक षड़यंत्र रहा है जिसे अब राजनैतिक स्वार्थ के लिए ही अछूत और पिछड़े लोग मजबूत करने में सक्रिय हैं। ये दोनों ही गुट श्रम शोषण के लिए जन्मना जाति का विवाद खड़ा कर रहे हैं। वर्तमान समय में कर्मणा शूद्रों की हालत बहुत बुरी है। इन शूद्रों की आर्थिक स्थिति दयनीय हैं। बहुतों को तो तरह रूपये से भी कम में जीवन यापन करना पड़ रहा है श्रमजीवी, गरीब, ग्रमीण, उत्पादक की श्रेणी अछूतों से भी खराब स्थिति में है। इन कर्मणा शूद्रों को साक्षी जी और सोमानी जी मनु और अम्बेडकर के नाम पर जन्मना जाति के पक्ष विपक्ष में तर्क देकर ज्ञानतत्व में अपना स्थान बना रहे हैं। मेरे समक्ष संकट है कि मैं क्या करूॅ। मुझे नहीं लगता कि कर्मणा शूद्रों की समस्याओं पर से ध्यान हटाना कोई अच्छी बात होगी। अभी मायावती जी और टिकैत का टकराव हुआ। सम्पन्न कृषकों के प्रतिनिधि टिकैत ने सत्ता सम्पन्न अछूत मायावती के विरूद्ध टिप्पणी कर दी। दो सम्पन्न नेतृत्व उलझ गये। पता नहीं दोनों के टकराव में किसका अधिक लाभ हुआ और किसका कम लाभ हुआ किन्तु लाभ दोनों को हुआ। हानि हुई सिर्फ श्रमजीवी ग्रामीण गरीब उत्पादक वर्ग को अर्थात् कर्मणा शूदों को। मेरी इच्छा है कि हम कर्मणा शूद्रों को ठगने के लिए भारतीय संस्कृति के

गुण–दोषों को समीक्षा या विचार मंथन तक ही सीमित करने की कोशिश करें तो अच्छा होगा।

(ग) ज्ञान यज्ञ

ज्ञान यज्ञ समाज की समस्याओं के समाधान की पहल करने वाली एक विशेष विधि है जिसका चमत्कारिक प्रभाव होता है। ज्ञान यज्ञ का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में भी मिलता है। गीता में तो इसकी बहुत चर्चा रही है। किन्तु इस विषय पर व्यापक चर्चा के अभाव में ज्ञान यज्ञ भी अनेक कर्मकाण्डों में शामिल होकर अपनी विशेष स्थिति खो बैठा। कुछ लोग तो ज्ञान यज्ञ के नाम से ही उपदेश या प्रवचन तक दिया करते हैं, जबकि ज्ञान यज्ञ प्रवचन उपदेश से बिल्कुल भिन्न होता है।

लगभग बावन वर्ष पूर्व स्वप्न में स्वामी दयानन्द का निर्देश पाकर मैंने रामानुजगंज शहर, छत्तीसगढ़ में ज्ञान यज्ञ करना शुरू किया जो धीरे–धीरे संशोधित, परिष्कृत होकर यहॉ तक आया है। ज्ञान यज्ञ के चार खण्ड हैं **1.** मातृ भूमि वन्दना **2.** यज्ञ **3.** विचार मंथन **4.** प्रार्थना। मातृभूमि वन्दना के लिए धरती माता के प्रतीक स्वरूप ग्लोब को माल्यार्पण किया जाता है। यज्ञ के रूप में किसी धार्मिक विधि से संक्षिप्त भावना प्रधान कर्मकाण्ड का आयोजन होता है। विचार मंथन के निमित्त किसी पूर्व निश्चित असंबद्ध विषय पर विस्तृत तथा स्वतंत्र विचार मंथन होता है। प्रार्थना के रूप में एक चार लाईन की प्रार्थना होती है जिसे संकल्प भी कह सकते हैं और प्रार्थना भी। यज्ञ विधि आयोजक स्वयं तय कर सकता है। विचार मंथन में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है कि वह विस्तृत ,गम्भीर और स्वतंत्र हो। अर्थात् किसी तात्कालिक समस्या पर विचार मंथन न रखकर दूरगामी विषयों पर विचार मंथन हो। विचार–मंथन में पूरी स्वतंत्रता रखी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विचार मंथन में न कोई निष्कर्ष निकले न ही कोई प्रस्ताव पारित हो, न ही कोई योजना बने। विचार मंथन में निष्कर्ष निकालना ज्ञान यज्ञ का सर्वाधिक घातक प्रभाव का पक्ष होता है। इसलिए इस मुद्दे पर विशेष सावधानी बरती गयी। प्रार्थना या संकल्प इस प्रकार होता है ''हे प्रभु आप मुझे शक्ति दो कि मैं दूसरों को अपनी इच्छानुसार संचालित करने की इच्छा या दूसरों द्वारा संचालित होने की मजबूरी से दूर रह सकूं। यदि ऐसा संभव न हो तो इसके लिए सबकों सहमत करूं और फिर भी न हो तो ऐसे विचारों को अहिंसक प्रतिरोध करूं'' यह चार लाइन की प्रार्थना करके पूरा ज्ञान यज्ञ समाप्त हो जाता है। यज्ञ पूरा होने के बाद आप चाहें तो अन्य प्रस्ताव या योजना पर चर्चा कर सकते हैं किन्तु यज्ञ या विचार मंथन के बीच में नहीं।

धरती माता के प्रतीक स्वरूप ग्लोब का माल्यार्पण व्यक्ति पर समिष्ट की दिशा में बढ़ने का प्रभाव पैदा करता है। यह एक स्पष्ट दिखने वाला प्रभाव है जिसका सूक्ष्म लाभ निश्चित है। इसी तरह प्रार्थना भी व्यक्ति के अन्दर आत्मविश्वास का विस्तार करती हैं

। इसका भी लाभ प्रत्यक्ष ही है। किन्तू भावना प्रधान यज्ञ और बुद्धि प्रधान विचार मंथन का एक साथ एक निश्चित अनुपात में होना क्या प्रभाव डालता है और किस तरह डालता है यह एक शोध का विषय है। इस क्रिया का प्रभाव आध्यात्मिक है या वैज्ञानिक यह भी शोध का विषय है।मोटेतौर पर यज्ञ का भी लाभ दिखता है और विचार मंथन का भी। किन्तु यह लाभ बहुत धीरे–धीरे होता है और तत्काल प्रभाव नहीं दिखता। ज्ञान यज्ञ में और विचार मंथन के एक साथ सम्पन्न होने का कोई चमत्कारिक प्रभाव होता है और ऐसा प्रभाव भावना प्रधान यज्ञ और बुद्धि प्रधान विचार मंथन के संयोग का ही प्रभाव होगा, क्योंकि ग्लोब के माल्यार्पण और संकल्पयुक्त प्रार्थना का तो मानसिक प्रभाव ही हो सकता है, प्रत्यक्ष भौतिक प्रभाव तो नहीं दिखता।

मैं स्वयं ज्ञान यज्ञ प्रारम्भ किया तो इतना शीध्र और व्यापक प्रभाव होगा यह मैं स्वयं अनुमान नहीं करता था। मेरी न तो कोई पारिवारिक पहचान रही न ही आर्थिक। शिक्षा भी सामान्य तक ही सीमित रही फिर भी दो तीन वर्ष के ज्ञान यज्ञ का ऐसा जादूई असर पड़ा कि सत्रह वर्ष की उम्र में ही हमारे शहर के लोगों ने मुझे नगरपिता के रूप में मानना शुरू कर दिया, यद्यपि उम्र की कमी की वैधानिक कठिनाई के कारण मैं पच्चीस वर्ष की उम्र के बाद ही विधिवत् नगरपालिका अध्यक्ष बन पाया। मैं जटिल से जटिल पारिवारिक या स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान निकालने में विख्यात हो गया था। आपराधिक या हिंसक टकरावों में भी हम सबने मिलकर लगातार और अहिंसक विजय पाई। बाद में तो एक संविधान विशेषज्ञ, समाजशास्त्री तथा सामाजिक विचारक के रूप में स्थापित होता ही चला गया। आज भी मैं गम्भीर से गम्भीर राष्ट्रीय अंर्तराष्ट्रीय विषयों पर मौलिक सोच प्रस्तुत करता हूॅ तो दूसरों को इसमें कुछ खास विशेषता दिखाई देती है जबकि मेरे विचार में यह तो मात्र ज्ञान यज्ञ का परिणाम है। इससे अधिक कुछ नहीं।

पचास –बावन वर्षो तक ज्ञान यज्ञ से जुड़े रामानुजगंज के सभी साथियों यज्ञ का पारिवारिक बौद्धिक और भौतिक विकास प्रत्यक्ष है जो अब तक स्पष्ट है। ज्ञान यज्ञ का वहॉ की सामाजिक व्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पडा कि वहॉ के लोगो ने पंद्रह वर्षो के अनुसंधान पर पचासो लाख रूपया खर्च किया। इस यज्ञ का ही प्रभाव था कि इस शहर के आम नागरिकों ने सन् उन्नीस सौ छियान्नवे का बर्बर ,अमानविय, अवैधानिक सरकारी आक्रमण मे भी अहिंसक विजय प्राप्त की। ज्ञान यज्ञ के प्रमाण के रूप मे आज भी वहॉ देखी जा सकती है।

मै यह निश्चित रूप से कह सकता हूॅ कि वर्तमान सामाजिक संकट सामान्य न होकर विशेष प्रकृति का है तो बढ़ता ही जा रहा है। राजनैतिक व्यवस्था पूरी तरह समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था को पूरी तरह तोड़कर या कमजोर करके स्वयं को स्थापित करती जा रही है। धार्मिक व्यवस्था भी या तो राजनेताओं के इर्द–गिर्द है या स्वयं को कर्मकाण्ड तक सिमटा चुकी है। समाज को तोड़ने वाली राज व्यवस्था भी समाज को दोषी बताने में सक्रिय है और धर्म व्यवस्था भी समाज को ही दोषी बताकर उसका मनोबल गिरा रही है। ऐसे समय को आपातकाल मानकर हम ज्ञान यज्ञ से समाधान की शुरूआत करें। यदि ज्ञान यज्ञ से किसी बड़ी उपलब्धि का

विकास न भी हो तो इससे आंशिक लाभ तो होगा ही। यदि दैनिक या साप्ताहिक यज्ञ कठिन भी हो तो महीने में एक बार तो तीन घंटे इस कार्य पर खर्च किये जा सकते हैं । न ज्ञान यज्ञ में कोई विशेष खर्च है न ही कोई नुकसान की संभावना। चाहे कम हो या अधिक जो भी होगा वह लाभ ही लाभ होगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ज्ञान यज्ञ को भी समाधान के प्रयत्नों में शामिल करके देंखे। शायद दो तीन वर्षो में आपको भी इसका कुछ प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाए। इस संबंध में यदि आप कोई और चर्चा करना चाहें या सुनना–समझना चाहें तो मुझे फोन पर फोन करके बुलाकर भी सुन सकते है।